1

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—500 / 2017</u> संस्थित दिनांक—25.10.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

/ / <u>विरूद</u> / /

सुरेश उर्फ ढाढु, उम्र—28 वर्ष, जाति लोहार, निवासी—ग्राम पिपरिया, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - <u>अभियुक्त</u>

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक-26/10/2017 को घोषित)</u>

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—30.09.2017 को 18:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत डीलन की दुकान के पास, चौराहा सड़क पिपरिया बैहर में लोकस्थान पर फरियादी बुधेलाल को लोकस्थान पर मॉ—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य दूसरे सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी को हाथ—मुक्कों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहृति कारित कर फरियादी के सीने में नाखून से मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहृति कारित कर फरियादी को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर फरियादी को आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बुधेलाल ने पुलिस थाना बैहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक—30.09.2017 को शाम 4:30 बजे वह सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयार से ग्राम बन्ना गया था, जहां पर अभियुक्त सुरेश उर्फ ढाढू लोहार ने फरियादी से मोबाईल ले लिया था, जिसे फरियादी द्वारा वापस मांगा तो अभियुक्त कहने लगा था कि वापस आजा मोबाईल मिल जाएगा।

कुछ देर पश्चात् फरियादी को पता चला था कि अभियुक्त सुरेश को उसकी माँ ने बन्ना से पिपरिया लाई है, तब फरियादी अभियुक्त से मोबाईल मांगने के लिए शाम 6:00 बजे अभियुक्त के घर जा रहा था, तब उसे डील की दुकान के पास चौबट्टा में अभियुक्त मिला था, जिससे फरियादी द्वारा मोबाईल मांगे जाने पर उसने मोबाईल देने से मना कर दिया था। अभियुक्त ने पुरानी बात नल—जल योजना के ग्रीफ को निकालने पर से फरियादी को माँ—बहन की अश्लील गालियां दी तथा जान से खत्म कर देगा, कहते हुए हाथ—मुक्कों से मारपीट कर फरियादी के सीने में नाखून से खरोंच दिया था। उक्त घटना को चैतराम मानेश्वर और सुनील यादव ने देखी व सुनी थी। पुलिस थाना बैहर ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध कमांक—156/2017 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया था।

4— अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया था, तब अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेत् विचारणीय बिन्द् निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—30.09.2017 को 18:00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत डीलन की दुकान के पास, चौराहा सड़क पिपरिया बैहर में फरियादी बुधेलाल यादव के सीने में नाखून से मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की थी ?

विचारणीय बिन्दु का निराकरण

6— बुधेलाल यादव अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पिछले माह की है। उसका अभियुक्त से मौखिक विवाद हो गया था एवं धक्का मुक्की हो गई थी। इस कारण उसने अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना बैहर में प्रदर्श पी—1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने साक्षी का मेडिकल परीक्षण कराया था। पुलिस ने साक्षी की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है।

राजीनामा करने के कारण ने फरियादी ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य को देखते हुए एवं राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं कराई गई है। बुधेलाल यादव अ.सा.1 की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी बुधेलाल यादव के सीने में नाखून से मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- प्रकरण में धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।
- प्रकरण में अभियुक्त का मुचलका भारमुक्त किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला–बालाघाट

त्रीप अशेणी, जिला—बाल स्वीतिक (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर,